20/6/25 वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार कर पूर्व इन्तकाल क्र0 143 दिनांक 20/06/2003 निरस्त तहसीलदार कठूमर को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जाती है कि विधिवत पुनः सुनवाई कर नामान्तरण की कार्यवाही करें। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मि0 किया जावे पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। दर्ज नम्बर से कम हो सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठुमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर0ए0एस)

पकरण संख्या– 12 / 14 / 2024
जीसीएमएस– 2024 / 656
दायर दिनांक– 29.11.2024
निर्णय दिनांक– 20.06.2025

1. प्रहलाद सहाय पुत्र शंभूदयाल जाति वैश्य निवासी पुरानी अना मंडी खेडली तहसील कठूमर, अलवर।

......अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत दारोदा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दारोदा पंचायत समिति कठूमर, अलवर।

..... असल रेस्पोडेंण्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.06.2003 विरासत इन्तकाल संख्या 143 ग्राम बदनगढी ग्रा. पं. दारोदा कठूमर अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री बलवीर चौधरी अधिवक्ता अपीलाण्ट

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 194 वाके ग्राम बदनगढी ग्राम पंचायत दारोदा तहसील कठूमर में स्थित है,जो अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा अरपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा मंगल नाई से खरीद किया था। तथा खरीद मद्दे अपीलांट ने समस्त रकम विकेता मंगल नाई को अदा की थी। लेकिन पैसे की गारंटी में इस खसरा नम्बर 194 का बयनामा अपीलांट ने स्वयं के नाम न करवाकर अपने पिता शम्भुदयाल के हक में करवा दिया था। वक्त खरीद से ही उक्त आराजी खसरा नम्बर 194 के 1/2 हिस्सा तरफ दक्षिण पर अपीलांट का निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। तथा आज भी उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर अपीलांट काबिज है। तथा आराजी के दक्षिण पूर्वी कोनो में एक गह की पाटोल डल रखी है। तथा पाटोल की पट्टी पर लिखा हुआ है उक्त आराजी से संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में मुकदमा विचाराधीन है। जो काले पेंट से लिखा हुआ है। अपीलांट के पिता ने अमानत में खयानत करते हुये उक्त आराजी खसरा नम्बर 194 को अपीलांट के नाम नहीं करवाया तो अपीलांट को अपने पिता के विरूद्व मुकदमा करना पडा जो राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में आज भी विचाराधीन है। लेकिन इसी दौरान दिनांक 07.09.2001 में अपीलांट के पिता शम्भूदयाल का स्वर्गवास हो गया। जिसके वाद ग्राम पंचायत दारोदा में

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

उक्त आराजी बाबत मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद, मौका व कब्जे की जॉंच किए बिना विरासत का इंतकाल संख्या 143 बाके ग्राम बदनगढी शंभू दयाल के वारिसान के हक में फैसल कर दिया। जो इंतकाल संख्या 143 गलत एवं विधि विरूद्ध तथा मौके व कब्जे के विपरीत कर दिया गया है। इन्तकाल विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक होने के कारण कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 143 के इंतकाल के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 06.12.2006 को अपील पेश की थी। जो अपीलांट को तारीख मुगालता होने की वजह से एवं इकजाई तारीख लगने की वजह से तारीख पेशी की जानकारी नहीं हो पाई । इस वजह से अपील अपीलांट कह अनुपस्थिति में तलवी की स्टेज पर ही खारिज फरमा दी गई थी। जिसमें अपीलांट की कोई वदयांती नहीं रही इसलिये बिना देरी कके मौजूदा अपील पेश की जा रही है। तथा अपली दायरे तक की अवधि को कन्डोन कराने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर विलम्ब में प्रार्थी/अपीलांट की किसी किस्म की कोई बदयांती नहीं रही। इस बजह से दिनांक 20.06.2003 से अपील पेश करने की दिनांक तक की अवधि कन्डोन किये जाने तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 143 दिनांक 20.06.2003_वाके ग्राम बदनगढी ग्राम पंचायत दारोदा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 143 के बारे में अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 143 के इंतकाल के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 06.12.2006 को अपील पेश की थी। जो अपीलांट को तारीख मुगालता होने की वजह से एवं इकजाई तारीख लगने की वजह से तारीख पेशी की जानकारी नहीं हो पाई । इस वजह से अपील अपीलांट कह अनुपस्थिति में तलवी की स्टेज पर ही खारिज फरमा दी गई थी। जिसमें अपीलांट की कोई वदयांती नहीं रही इसलिये बिना देरी कके मौजूदा अपील पेश की जा रही है। तथा अपली दायरे तक की अवधि को कन्डोन कराने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर विलम्ब में प्रार्थी/अपीलांट की किसी किस्म की कोई बदयांती नहीं रही। इस बजह से दिनांक 20.06.2003 से अपील पेश करने की दिनांक तक की अवधि कन्डोन किये जाने तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट दिनांक 07.02.2025 को वाबजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित आये जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई।

अपीलाण्ट अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमें उक्त इन्तकाल संख्या 143 के बारे में जानकारी दिनांक 29.11.2024 को को हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 143 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

तहसील कठूमर में स्थित है,जो अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा मंगल नाई से खरीद किया था। तथा खरीद मद्दे अपीलांट ने समस्त रकम विक्रेता मंगल नाई को अदा की थी। लेकिन पैसे की गारंटी में इस खसरा नम्बर 194 का बयनामा अपीलांट ने स्वयं के नाम न करवाकर अपने पिता शम्भुदयाल के हक में करवा दिया था। वक्त खरीद से ही उक्त आराजी खसरा नम्बर 194 के 1/2 हिस्सा तरफ दक्षिण पर अपीलांट का निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। तथा आज भी उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर अपीलांट काबिज है। तथा आराजी के दक्षिण पूर्वी कोनो में एक गह की पाटोल डल रखी है। तथा पाटोल की पट्टी पर लिखा हुआ है उक्त आराजी से संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में मुकदमा विचाराधीन है। जो काले पेंट से लिखा हुआ है। अपीलांट के पिता ने अमानत में खयानत करते हुये उक्त आराजी खसरा नम्बर 194 को अपीलांट के नाम नहीं करवाया तो अपीलांट को अपने पिता के विरूद्व मुकदमा करना पडा जो राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में आज भी विचाराधीन है। लेकिन इसी दौरान दिनांक 07.09.2001 में अपीलांट के पिता शम्भूदयाल का स्वर्गवास हो गया। जिसके वाद ग्राम पंचायत दारोदा में उक्त आराजी बाबत मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद, मौका व कब्जे की जॉच किए बिना विरासत का इंतकाल संख्या 143 बाके ग्राम बदनगढी शंभू दयाल के बारिसान के हक में फैसल कर दिया। जो इंतकाल संख्या 143 गलत एवं विधि विरूद्व तथा मौके व कब्जे के विपरीत कर दिया गया है। इन्तकाल विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने अपीलाण्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं दिनांक 07.09.2001 में अपीलांट के पिता शम्भूदयाल का स्वर्गवास हो गया। जिसके वाद ग्राम पंचायत दारोदा में उक्त आराजी बाबत मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद, मौका व कब्जे की जॉच किए बिना विरासत का इंतकाल संख्या 143 बाके ग्राम बदनगढी शंभू दयाल के बारिसान के हक में फैसल कर दिया। जो इंतकाल संख्या 143 गलत एवं विधि विरूद्व तथा मौके व कब्जे के विपरीत कर दिया गया है। इन्तकाल विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज कि जाकर पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

–::आदेश::–

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत दारोदा द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 143 दिनांक 20.06.2003 वाके ग्राम बदनगढी ग्राम पंचायत दारोदा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर